समक्ष न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डलेश्वर, प0निमाड
//समक्ष–सुश्री स्वाति शर्मा//

{ निर्णय दिनांक–23–08–2022 }

Registration No-	**SUM -**	84/2020
Filing No-		594/2020
C.N.R. No- MP		1001-000852-2020
Filing Date-		16-03-2020

पुलिस थाना–मण्डलेश्वर, तहसील–महेश्वर, जिला–खरगोन के इस्तगासा क्रमांक 06/2020, अंतर्गत धारा–185 भारतीय दंड संहिता, धारा–128/177, 130(3)/177 मोटरयान अधिनियम से उद्भूत प्रकरण।

राज्य	राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–मण्डलेश्वर
प्रतिनिधित्व द्वारा	सहायक लोक अभियोजन अधिकारी– श्री विजयसिंह जमरा
अभियुक्त	01. करण पिता कासम शाह, आयु–37 वर्ष, (अ–1)
	निवासी ग्राम–फिफरिया, तहसील– महेश्वर, जिला–खरगोन
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री के.सी. तोनगर अधिवक्ता।

अपराध की तारीख	12-03-2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	12-03-2020
अभियोग–पत्र प्रस्तुती तारीख	16-03-2020
आरोप के विरचना की तारीख	10-02-2021
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	07-04-2021
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	
निर्णय की तारीख	
दंडादेश, यदि कोई हो तो तारीख	निरंक

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धी	अधिरोपित दंडादेश	धारा–428 दप्रसं. के प्रयोज्नार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
अ–01	करण	निरंक	16.03.2020	185,128/177,130(3)/177 मो.व्ही.ए.	दोषसिद्ध	न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये अर्थदंड	निरंक

नोट–अभियुक्त को धारा–41(क) दंड प्रक्रिया संहिता के नोटिस दिये गये है।

अभियोजन साक्षियों की सूची

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
अ.सा.–01	डॉ. स्वप्निल श्रीवास्तव	चिकित्सकीय साक्षी
अ.सा.–02	मोहन गायकवाड़	अनुसंधानकर्ता साक्षी

अभियोजन प्रदर्शो की सूची

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्रदर्श पी–01	अभियुक्त करण का मेडिकल फार्म/रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी–02	मोटर चेकिंग का पंचनामा
03	प्रदर्श पी–03	वापसी रोजनामचा सान्हा की प्रति

नोट :–प्रतिरक्षा एवं न्यायालयीन साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

//निर्णय//

1. अभियुक्त पर मोटरयान अधिनियम की धारा– 185, 128/177, 130(3)/177 के अंतर्गत आरोप है कि अभियुक्त ने दिनांक–12.03.2020 को समय 18:30 बजे, स्थान गॉधीनगर महेश्वर रोड़, मण्डलेश्वर लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.–10 एम.एच.–9056 को शराब पीकर चलाकर अपराध कारित किया तथा उक्त दो पहिया वाहन पर स्वयं एवं एक अन्य सवारी के अतिरिक्त तीसरी सवारी बैठाकर वाहन चलाकर अपराध कारित किया तथा उक्त वाहन को चलाते हुए वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा एवं फिटनेस मांग जाने पर प्रस्तुत नही किया।

2. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक–12.03.2020 को अभियुक्त करण द्वारा शराब पीकर वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.–10 एम.एच. –9056 को शराब के नशे में गॉधीनगर महेश्वर रोड़, मण्डलेश्वर पर मोटरसायकल चलाते हुए पाया गया तथा अभियुक्त करण द्वारा मोटरसायकल को काफी खतरनाक तरीके से चलाते हुए शराब के नशे में मिला तथा कोई कागजात पेश नहीं किये जो तथा आरोपी का कृत्य मोटरयान अधिनियम की धारा–184, 185, 130(1)/177 का पाया जाने से आरोपी से उक्त मोटरसायकल क्रमांक एम.पी.10 एम.एच.9056 को पचांन साक्षी अमित एवं जब्बार के समक्ष पंचनामा तैयार कर आरोपी का मेडीकल परीक्षण

करवाया गया तथा वापसी पर इस्तगासा क्रमांक–6/2020, अंतर्गत धारा–184, 185, 130(1)/177 मोटरयान अधिनियम की इस्तगासा तैयार की जाकर न्यायालय में प्रस्तुत की गयी।

3. अभियुक्त को मोटरयान अधिनियम की धारा–185, 128/177, 130(3)/177 का आरोप पढकर सुनाये जाने पर अभियुक्त ने अपने अभिवाक् में आरोपित अपराध का प्रत्याख्यान किया तथा विचारण की मांग की। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन किये गये अपने परीक्षण में उन्होने अभियोजन साक्ष्य की सत्यता से इंकार करते हुए स्वंय को निर्दोष होना एवं इस मामले में झूंठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

4. प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते है :–

क्र0	विचारणीय प्रश्न
(1)	क्या, अभियुक्त ने दिनांक–12.03.2020 को समय 18:30 बजे, स्थान गॉधीनगर महेश्वर रोड़, मण्डलेश्वर लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.–10 एम.एच.–9056 को शराब पीकर चलाकर अपराध कारित किया ?
(2)	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक समय एवं स्थान पर उक्त दो पहिया वाहन पर स्वयं एवं एक अन्य सवारी के अतिरिक्त तीसरी सवारी बैठाकर वाहन चलाकर अपराध कारित किया ?
(3)	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक समय एवं स्थान पर उक्त को चलाते हुए रजिस्ट्रेशन, बीमा, फिटनेस मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किया गया?
(4)	दोषसिद्धी एवं दंडादेश ?

// विवेचना एवं निष्कर्ष //

विचारणीय प्रश्न क्रमॉक–1 के संबंध में सकारण निष्कर्ष:–

5. सर्वप्रथम यह निर्धारित किया जाना है कि क्या उक्त दिनांक को अभियुक्त द्वारा शराब पीकर वाहन का परिचालन किया जा रहा था ? इस संबंध में मोहन गायकवाड (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक

12.003.2022 को पुलिस थाना मण्डलेश्वर पर सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को गांधी नगर महेश्वर रोड, मण्डलेश्वर में वाहनों की चैकिंग कर रहे थे। चैकिंग के दौरान एक मोटरसायकल क्रमांक एम.पी.10 एम.एच.9056 प्लेटिना का चालक तीन सवारी बैठाकर मोटरसायकल को लडखडाते हुए चलाते हुए चला रहा था, जिससे नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम करणसिंह पिता बागसिंह निवासी पिपरिया का होना बताया, उसके मुंह से हल्की–हल्की गंध आ रही थी। मौके पर ही मोटर चेकिंग का पंचनामा प्रदर्श पी–02 का बनाया था। उक्त चालक करण का मेडिकल फार्म तैयार किया जाकर सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र मण्डलेश्वर से मेडिकल परीक्षण करवाये प्रदर्श पी–01 कराया गया, जिसमें चिकित्सक द्वारा आरोपी के एल्कोहल पीना बताया है। मौके पर उपस्थित साक्षी जब्बार एवं अमित के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। उनके द्वारा घटना दिनांक को वापसी सान्हा की प्रमाणित प्रति प्रस्तुती की है जो प्रदर्श पी–3 है। अभियुक्त के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा–185, 128/177, 130(3)/177 की इस्तगासा पूर्ण कर न्यायालय में प्रस्तुत की गयी।

6. इस संबंध में अभियोजन द्वारा चिकित्सक साक्षी डॉ0 स्वप्निल श्रीवास्तव (अ.सा.1) को परीक्षित कराया गया है। जिन्होने अपने मुख्यपरीक्षण कथन में प्रकट किया है कि दिनांक 12.03.2020 को पुलिस थाना मण्डलेश्वर से आरक्षक राघवेन्द्र व्दारा आहत करण पिता भागसिंह को परीक्षण हेतु लाये जाने पर उसका परीक्षण करने पर उस व्यक्ति के मुंह से एल्कोहल की गंध आ रही थी। उक्त मरीज एल्कोहल के प्रभाव में था, परन्तु इन्टाक्सीकेटेड नही था, शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। उनके द्वारा दी गयी मेडीकल रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 है।

7. धारा–185 मोटरयान अधिनियम के अनुसार मोटरयान को चलाते समय या चलाने का प्रयास करते समय (क) जिस किसी के श्वास, विश्लेषक या किसी अन्य प्रशिक्षण द्वारा रिक्त के प्रति 100 मि.ली.लीटर में 30 मि.ली.ग्राम से अधिक एल्कोहल पाया जाता है या (ख) जो कोई मादक द्रव्य के असर में इस सीमा तक है कि वह मोटरयान और समुचित नियत्रंण रखने में असमर्थ है। उक्त दोनों परिस्थितियों में ही अभियुक्त उक्त धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध से दंडित किये

जाने योग्य होगा।

8. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत विशेषज्ञ साक्ष्य से भी धारा–185 मोटरयान अधिनियम के तथ्यों की पुष्टि नहीं होती है। इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट हो सकें कि घटना दिनांक को अभियुक्त द्वारा शराब पीकर वाहन परिचालन किया जा रहा था।

<u>विचारणीय प्रश्न कमॉक–2 के संबंध में सकारण निष्कर्ष</u>:–

9. मोहन गायकवाड (अ.सा.2) द्वारा अपने मुख्यपरीक्षण में यह भी व्यक्त किया गया है कि घटना के समय अभियुक्त के साथ मोटरसायकल पर दो व्यक्ति बैठे थे। बचाव पक्ष द्वारा सुझाव दिये जाने पर प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि अभियुक्त के साथ दो अन्य व्यक्ति भी बैठे हुए थे, बचाव पक्ष द्वारा उक्त साक्ष्य को खंडित करने के संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई प्रश्न नहीं है।

10. बचाव पक्ष द्वारा व्यक्त किया गया कि अभिलेख पर केवल विवेचक की साक्ष्य है तथा मात्र विवेचक की साक्ष्य दोषसिद्धी का आधार नहीं हो सकता है। यह न्यायालय उक्त मत से पूर्णतः सहमत नहीं है। उक्त संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत **करमजीतसिंह विरूद्ध दिल्ली एडमिनीट्रेशन (2003) 5 एस.सी.सी. 279** में यह प्रतिपादित किया गया है कि विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि अन्य साक्षीगण की पुष्टि के अभाव में पुलिस अधिकारी की साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है, यह उपधारणा पुलिस अधिकारी के पक्ष में की जानी चाहिए एवं उचित आधारों के बिना पुलिस अधिकारी की साक्ष्य पर विश्वास न करना या उस पर संदेह करना उचित न्यायिक परिपाठी नहीं है, अपितु यह प्रत्येक मामले के तथ्य एंव परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उक्त साक्ष्य की समीक्षा एवं न्याय दृष्टांत के आलोक में चुनौती विहिन होने से यह न्यायालय **विचारणीय प्रश्न कमांक 2 का निष्कर्ष प्रमाणित पाती है**।

<u>विचारणीय प्रश्न कमांक 3 का सकारण निष्कर्ष</u>

11. मोहन गायकवाड (अ.सा.2) द्वारा अपने मुख्यपरीक्षण में दस्तावेज न होने के संबध में कोई साक्ष्य नहीं दी गयी है। यद्यपि अभियोजन प्रकरण के अनुसार

अभियुक्त के पास घटना के समय रजिस्ट्रेशन, बीमा एवं फिटनेस नहीं होना परिलक्षित होता है, परन्तु उक्त संबंध में न्यायालयीन कथनों के समय साक्ष्य न होना एक महत्वपूर्ण लोप है। उक्त संबंध में अभिलेख पर साक्ष्य के अभाव में किसी भी निष्कर्ष पर पहुचा जाना संभव नहीं है। साक्ष्य के अभाव का लाभ अभियुक्त पाने का अधिकारी है। **विचारणीय प्रश्न कमांक–3 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं पाती है।**

<u>विचारणीय प्रश्न कमांक 4 दोषसिद्ध एवं दंडादेश</u>

12. परिणामतः उपरोक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में अभियोजन अपनी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध कंडिका 1 में वर्णित अनुसार मोटरयान अधिनियम की धारा–128/177 का आरोप युक्ति–युक्त संदेह के परे प्रमाणित करने में सफल रहा है, किन्तु अभियोजन अपनी साक्ष्य से अभियुक्त में विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा–185, 130(3)/177 का अपराध युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है। **अतः अभियुक्त करण को मोटरयान अधिनियम की धारा–128/177 के अपराध से दोषसिद्ध किया जाता है तथा मोटरयान अधिनियम की धारा–185, 130(3)/177 से दोषमुक्त किया जाता है।**

13. अभियुक्त राहुल की आयु 37 वर्ष से अधिक की है, उसके द्वारा मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। ऐसी घटनाओं में वृद्धि देखी गयी थी, जिससे न केवल लोकशांति संकटापन्न हुई, बल्कि जन सामान्य में असुरक्षा की भावना भी बढी। अतः अपराध की प्रकृति, अभियुक्त की आयु एवं प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों दृष्टिगत रखते हुए आपराधिक परीविक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

नोट :–अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु धारा–248(2) दंड प्रकिया संहिता के अंतर्गत निर्णय लेखन स्थगित किया गया।

(सुश्री स्वाति शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
मण्डलेश्वर,प0निमाड

14. अभियुक्त एवं उसके अधिवक्ता को दंड के प्रश्न पर सुना गया। उसके व्दारा अभियुक्त को मात्र अर्थदंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया है। इसके

विपरित ए.डी.पी.ओ श्री विजयसिंह जमरा का तर्क है कि अभियुक्त को कठोरतम् दंड से दंडित किया जाये।

15. परिणामतः अपराध की प्रकृति अभियुक्त की आयु एवं प्रकरणों के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि **अभियुक्त** को निम्नानुसार दंडित किया है :–

आरोपी का नाम	धारा मोटरयान अधिनियम	कारावास	अर्थदण्ड रूपये	व्यतिक्रम मे कारावास साधारण
करण पिता बागसिंह	128/177	न्यायालय उठने तक	500/–	15 दिन

16. अभियुक्त को निर्णय की निःशुल्क प्रतिलिपि धारा–363(1) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अविलंब प्रदान की जाए।

17. प्रकरण में अभियुक्त अन्वेषण के दौरान न्यायिक निरोध में नहीं रहा है। उक्त संदर्भ में धारा–428 दंप्रसं का प्रमाण पत्र बनाया जाकर अभिलेख के साथ संलग्न किया जाये।

18. दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा–437(ए) के अधीन प्रतिभूमि की अपेक्षा करने पर अभियुक्त ने प्रतिभूमि प्रस्तुत करने में असमर्थता व्यक्त की है।

19. प्रकरण में वाहन क्रमांक एम.पी.10–एम.एच.–9056 मय दस्तावेजों के आवेदक/वाहन स्वामी करण पिता बागसिंह सावनेर, जाति–राजपूत, उम्र 36 वर्ष, निवासी–फिफरिया, थाना करही, जिला–खरगोन म0प्र0 की अंतरिम सुपुर्दगी में है, जो सुपुर्दगीनामा आवेदक/वाहन स्वामी के पक्ष में निरस्त माना जाये। तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जाये।

निर्णय दिनांकित, हस्ताक्षरित कर,
खुले न्यायालय में घोषित किया गया मेरे निर्देशन पर टंकित किया।

(सुश्री स्वाति शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
मण्डलेश्वर,प0निमाड (म0प्र0)

(सुश्री स्वाति शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
मण्डलेश्वर,प0निमाड (म0प्र0)

SWATI
Digitally signed by SWATI
Date: 2022.08.23 16:48:43 +0530